(c) whether it is also a fact that the rate/number of crimes has increased in Sangam Vihar; and

(d) if so, the details of crimes committed from December, 1993 to February, 1994 and steps taken to curb the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Police has reported that the above news item is not factually correct. After the publication of the above news item, meetings were held in the locality. As a precautionary measure, the Police has increased Motor Cycle patrolling in the area. Beat and Division officers have been directed to be more vigilant.

(c) Yes, Sir.

(d) The details of the crimes reported in Sangam Vihar and their disposal during the period from 1st December, 1993 to 28th February, 1994 and its corresponding period from 1st December, 1992 to 28th February, 1993 is given in the annexure [See Appendix 170, Annexure No. 92].

Disposal of arms seized from Militants

4694. SHRI O. P. KOHLI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of AK-47 rifles and rocket launchers seized from militants/terrorists etc. lying in Malkhanas all over the country State-wise and since when;

(b) how do Government propose to dispose of these weapons; and

(c) what are the details in respect of small arms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) and (c) The information is being obtained and will be laid on the Table of the House.

(b) This Ministry has issued instructions to the State Govts./Union Territory Administrations that in cases of fire-arms seized/recovered from extremists/terrorists, which are not required to be produced as exhibits before a Court of Law, in connection with any case that may have been registered involving or relating to the said arms, the concerned State authorities should approach the Competent Court seeking its permission for their utilisation. State Govts. have also been advised that details of all obsolete/ obsolescent and unserviceable police fire-arms and their components shall be intimated to the Army Headquarter for obtaining their disposal instructions.

विशेष सशस्त्र बल वाहिनियों पर किए गए व्यय का अदा किया जाना ।

4695. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्देशों पर उग्रवाद और आतंकवाद को रोकने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश तथा अन्य राज्यों को विशेष सशस्त्र बल की कितनी वाहिनियां भेजी गई तथा वे किन किन स्थानों पर भेजी गई;

(ख) क्या यह सच है कि इन वाहिनियों पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकारें मध्य प्रदेश शासन को अदा करती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन राज्यों में मध्य प्रदेश शासन की वाहिनियों तैनात की गई थीं उन राज्यों ने 33,71,73,705 रुपये के व्यय का भुगतान मध्य प्रदेश शासन को नही किया है;

(घ) सम्बन्धित राज्यों से उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान कराने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों से बकाया राशि का भुगतान मध्य प्रदेश शासन को कब तक करा देंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल की बटालियनों को भिन्न-भिन्न संख्या में समय-समय पर असम, केरल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ आदि में तैनात किया गया है, ऐसा इन राज्यों की आवश्यकता और इनमें व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान। केवल छूट प्राप्त राज्यों मे तैनाती के अलावा, जिनमे तैनाती की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) से (ङ) चूंकि बकाया देय राशि के आंकड़े घटते बढ़ते रहते है इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993–94 के दौरान 17.81 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान, छूट प्राप्त राज्यो की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यों की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यो के मामले में 24.13 करोड रु० की राशी की कटौती उनकी योजनागत सहायता मे से, किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 17.559 करोड़ रू० की राशि की कटौती पहले ही कर ली गई है और यह राशि 1992–93 और 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विधेयक

4696. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षणात्मक उपायो के लिये एक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो "मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विनियम" पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) विनियम, 1954" के निरसन के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) निरसन विनियम, 1984" को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा था। इस निरसन विनियम द्वारा 1954 के जिस मौजूदा विनियम को निरसित किया जाना है, वह जनजातियों की रक्षा, भूमि के अन्य संक्रामण से करता है। राज्य सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया कि कई मामलों में जनजाति भूमि को गैर जनजातियों के पक्ष में अन्य संक्रमित किया गया। चूंकि यह समझा गया था कि इस विनियम के निरसन के परिणामस्वरूप अन्य संक्रामणों का विनियमन ही होगा, अतः राज्य सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अपने अन्तिम निर्णय से अवगत नही कराया है।

दिल्ली, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बलात्कार/दहेज सम्बन्धी मौतें

4697. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :
श्री ओ० पी० कोहली :
श्री वीरेन्द्र कटारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में वर्ष 1990, 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक बलात्कार/दहेज सम्बन्धी मौतों तथा पत्नियो